प्राक्ता विकार के प्राप्त के प्र न्यायालय अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार **अति**रिक्त तहसीलदार वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र रायपुरं, दिनांक-27 जून 2007 संदर्भ क. एफ-9/2001/1/3 रामा.क. 8220 ब/121 वर्ष 200 र -2013 दिनांक प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीम्ती/कु. तहसील कि कि हार जिला-बालोद छत्तीसगढ़ निवासी है क्योंकि :-(1) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी उसी व्यक्ति को माना जावेगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता हो :-1 छत्तीसगढ में पैदा हआ / हुई है. अथवा 2 (क) वह, (ख) उसके पालकों में से कोई, (ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा हो 3. उसके पालकों में से कोई भी:-(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी हो, (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत हो। (क) वह स्वयं अथना (ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, कृषि, उद्योग अथवा व्यव्हतीय रखते हों। परन्तु उपरांक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त कि पूर्ति भी करता हो :-एसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश वे छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की हो. . उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संरथा से निम्नलिखित परीक्षायें उत्तीर्ण की हो :-यदि किसी संरथा में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, या उससे उच्यतर उपाधि निर्धाहित हो तो, उच्यतर माध्यमिक परीक्षा या ८ वीं कक्षा की परीक्षा । ्रिया यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट.हायर सेकेंडरी दा कोई और समकक्ष परीक्षा निधारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा। अन्य मामलों में कक्षा पांचवी परीक्षा। उपरोक्त के अलावा निम्नलिखिल में से किसी श्रेणी के व्यक्ति ही छत्तीरामुद के स्थानीय निवासी होंगे-(क) छत्तीसगढ़ राज्य क्रें आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकार्सिंगण तथा उनकी पिल / पित अथवा संतान । (ख) प्रतीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारी तथा जनकी पुले / पति अथवा संतान। (ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutopy) पत्रों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति तथा उनकी पलि/पति अथवा (घ) राज्य के अधीन रथापित संरथाओं या निगृत या मंडल रा आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी तथा उनकी पलि/पति अथवा संतान। (3) उपरोक्त मापदणडों के अनुरुप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी पाँची करकी पालि / पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ केस्थानीय निवासी रथान:.... टीप:- जो अंश लागू न हों उन्हें काट दिया जावें।